क्यों होती है 'ईव-टीज़िंग'?

सुनीता ठाकुर

प्रायः किशोरावस्था 10-16 साल तक के बीच की उम्र को माना जाता है। यही वह उम्र होती है जब शरीर और मन में अनेक बदलाव और विकास होते हैं। खासतौर से लड़कियां अपने शारीरिक बदलावों और माहवारी के जिस दौर से गुज़रती हैं, उसमें उन्हें ठीक से शरीर के बदलावों के बारे में बताने वाला भी नहीं होता, उनकी तकलीफ समझना तो दूर की बात है। परिवार में दादी, चाची से लेकर मां तक उन पर प्रतिबंधों और हिदायतों का बोझ लादे रहती हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियों और बड़े होने का एहसास उनमें अकेलापन और भावनात्मक उथल-पुथल पैदा करता है।

ऐसे हालातों में उनके प्रति परिवार और पास-पड़ोस के लड़कों/मर्दों का नज़रिया भी बदलता है। उनके प्रति होने वाले यौनिक अपराधों की मुख्य शक्ल आपसी छेड़छाड़ यानि ईव-टीज़िंग होती है जिसका असर उन पर कई तरह से पड़ता है। वे अकसर समझ ही नहीं पाती हैं कि अचानक उनमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि वे इस तरह छेड़छाड़ का शिकार बन रही हैं। परिवार की महिलायें तक उनसे छोटी-मोटी छेड़खानी कर उठती हैं, बिना यह सोचे समझे कि उन पर इसका क्या असर होगा। अल्प शारीरिक ज्ञान के रहते अकसर लड़कियां भी इसे उतनी गम्भीरता से नहीं ले पातीं और यह चलता रहता है। कभी कोई सोचता ही नहीं कि यह छेड़छाड़ उनके मन और दिमाग को कितनी तकलीफ़ पहुंचाती होगी। परिवार में वे या तो इस पर बात नहीं करती है और अगर करती भी हैं तो अकसर उनकी आवाजाही पर ही बंदिश लगाई जाती है।

भावनात्मक परिवर्तनों के चलते ऐसे यौनिक संदेशों, छेड़छाड़ और मज़ाक वे काफी गम्भीरता से ले उठती हैं। माता-पिता प्रारम्भ में उनके प्रति होने वाली छेड़छाड़ को गम्भीरता से नहीं ले पाते क्योंकि ये छेड़छाड़ कभी रिश्तों के आड़ में छिप जाती है तो कभी सामाजिक लोक-लाज, इज़्ज़त के सवालों में दबकर रह जाती है।

मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर मैं कुछ किशोरियों-युवतियों से बात करूं और जानने का प्रयास करूं कि इस छेड़छाड़ के मुद्दे पर वे क्या सोचती हैं। लड़कियों से इस विषय पर बात करना पहले पहल तो काफी मुश्किल लगा क्योंकि उनके लिए भी इस पर बात करना तथा इससे जुड़े गुस्से को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। ऐसी हरकतों का शिकार उन्हें हर जगह होना पड़ता था और वह चाहकर भी घूरती आंखों, मुस्कराते, इशारे करते होठों और हाथों को रोक नहीं पातीं। कभी शिकायत करने पर उल्टा लड़कियों को ही तमाम हिदायतें दी जाती हैं, जैसे 'तुम ही ठीक से नहीं चल रही होंगी' या 'इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर तोहमत लगाते शर्म नहीं आती, लड़कियों को ज़रा दबकर ही चलना चाहिए' आदि। उस पर तुर्रा यह कि जिस चीज़ को हमारे समाज ने मान्यता दी हुई हो उसके लिए आपको क्या समस्या है, यह सब तो सदियों से होता ही रहा है।

किशोरियों के साथ होने वाली यौनिक छेड़छाड़ या ईव-टीज़िंग के सन्दर्भ में सबसे पहले तो हम यह समझें कि किशोरियों/युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ में क्या अन्तर होता है? हमें हंसी-मज़ाक व छेड़छाड़ के बीच अन्तर को भी समझना होगा। यह सोचना होगा कि क्या आम हंसी-मज़ाक भी ईव-टीज़िंग हो सकता है? क्या है यह ईव-टीज़िंग, जो बाकी सबके लिए तो सिर्फ़ एक आम बात है पर किशोरियों या युवतियों के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात।

किशोरियों/युवतियों के साथ छेड़छाड़ कोई आज की समस्या नहीं है। बहुत पुराने समय से रिश्तों में आपसी हंसी-मज़ाक और छेड़छाड़ पारिवारिक सम्बंधों की पहचान रही है। इतना कभी सोचा ही नहीं गया था कि सरेआम किया गया हंसी-मज़ाक उनकी गरिमा को ठेस भी पहुंचा सकता है। ईव-टीज़िंग को आम हंसी-मज़ाक से जोड़कर

निहायत हलका बना दिया गया है। यह एक संगीत अपराध है जिसे समाज ने हंसी-मज़ाक का जामा पहनाकर ढक दिया है।

पारिवारिक रिश्तों में होने वाली हंसी-मज़ाक में- आपसी समझ, प्रेम और सहभागिता, सहमति, खुलापन, एक दूसरे की इज़्ज़त और अपनेपन का एहसास दोनों तरफा होता है। जबकि छेड़छाड़ या ईव-टीज़िंग में यही सब बातें नदारद होती हैं। इसमें थोपा हुआ अपनापन, औरत को खिलौना मानने की प्रवृत्ति, मज़ाक की आड़ में अपमान, नीचा दिखाना व मनमानापन होता है। नतीजतन वह एक ज़्यादती बन जाती है और सामाजिक स्वीकृति के कारण किशोरियां उसका विरोध नहीं कर पाती तथा सहती रहती हैं। मुंह खोलने पर उन्हें नकचढ़ी, चिड़चिड़ी, अपने में सिमटी हुई, घमण्डी जैसी तमाम संज्ञाएं दे दी जाती हैं। अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं और उनका हौसला घर व रिश्तों से बाहर सड़कों, बसों में भी गुल खिलाने लगता है।

हमें यह सोचना होगा कि क्या कोई हंसी-मज़ाक किसी को ठेस पहुंचा सकता है? क्या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात हंसी-मज़ाक हो सकती है? हमारे मुताबिक हर वो मज़ाक जो किसी लड़की या औरत को औरत होने के नाते ठेस पहुंचाए छेड़छाड़ का ही रूप है। यह सिर्फ़ एक मज़ाक का मुद्दा नहीं हैं, वह लड़की पर यौनिक और शारीरिक रूप से अनदेखा हमला भी है जिसकी भाषा या तो करने वाला समझता है या फिर शिकार किशोरी या युवती। सामाजिक स्वीकृति के कारण इसे पहचान पाना और भी कठिन हो जाता है।

अपराधी बहुत सफाई से बच निकलते हैं और फिर इस तरह की छेड़छाड़ का कोई सबूत भी तो नहीं होता। शिकायत की भी जाये तो कैसे? शिकायत लिखने वाले

तो हर बात का सबूत मांगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लड़की कहे कि उसने मेरी चोटी खींची हैं तो जवाब मिलेगा गलती से हाथ लग गया होगा। छेड़छाड़ में बोले गये शब्दों को बार-बार दोहराने में लड़कियों को सबके सामने एक तमाशा बनने से अच्छा चुप रह जाना ही लगता है। कितनी ही बार बसों में, सड़कों पर, घरों में, काम की जगह में, खिंचते कपड़ों, घूरती आंखों, ओछी छींटाकशी या फब्तियों का शिकार होती हैं और कुछ कर भी नहीं पाती हैं।

हमें ऐसे हालातों में फंसी और शिकार हुई लड़कियों की मदद करनी होगी। अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़नी होगी। सजग रहना होगा कि ऐसी घटनाएं हों ही न।

अगर कारण खोजें तो इसके मूल में हमारे पितृसत्तात्मक समाज की उपभोगवादी सोच दिखाई देती है जहां लड़की महज एक उपभोग का साधन या माध्यम है। शादी से पहले वह इस उपभोग के लिए निर्माण की प्रक्रिया में होती है। पिता के घर में भी लड़की ऐसी तमाम बातों और तानों का शिकार होती है जिन्हें मज़ाक कहा जाता है लेकिन जो उसकी सोच की दिशा को तय करते हैं, जैसे-

- अरे कितना ही क्यों न पढ़ लिख लो, बेलनी तो रोटियां ही हैं।
- इतना चमक-धमक कर रहोगी तो लोग तो छेड़ेंगे ही।
- रात को शरीफ़ घर की लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलतीं।
- जीजा साली के रिश्ते में कैसी शर्म, साली तो जीजा की आधी घरवाली होती है।
- देवर-भाभी का तो रिश्ता ही मज़ाक का है, इसका बुरा क्या मानना?
- अरे भाई, तुम्हारे साथ ही तो पढ़ता है। साथ-साथ पढ़ने वालों में तो हंसी-मज़ाक चलता ही रहता है उसका बुरा क्या मानना? अब इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए भी तैयार नहीं रहोगी तो दुनिया में कैसे जिओगी?
- बेकार किसी के मुंह मत लगा करो।

ऐसी तमाम बातें मौका-बेमौका लड़कियों के कानों में पड़ती रहती हैं उन्हें बताती हुई कि उन्हें आदत होनी चाहिए ऐसी बातों को सुनने और झेलने की। वे सुनती हैं और चुप रह जाती हैं। जाने-अनजाने में हम खुद अपनी बच्चियों को चुप रहना, सहना व डरना सिखाते हैं। वे चुप रहती हैं और मज़ाक करने वाले को अपने अधिकार का बोध होता है। नतीजतन यह छोटी-मोटी छेड़छाड़ बड़े हादसों का भी रूप ले लेती है। तब भी दोष हम अपनी लड़कियों को ही देते हैं- 'पराए लड़कों से ज़्यादा हंसी मज़ाक करोगी तो ऐसा ही होगा' या 'रिश्ता भी ऐसा है कि कोई कुछ कह नहीं सकता।'

इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने में मीडिया ने भी खासी भूमिका निभाई है। सरेआम सड़कों पर हीरोइन को छेड़ते हीरो, अश्लील गानों और दोहरे अर्थ वाले संवादों के कारण भले ही फ़िल्में बिकती हों, लेकिन उससे समाज के नौनिहालों को भयंकर रूप से गलत संदेश मिलते हैं। इनका खामियाज़ा भी राह चलती लड़कियों को भुगतना पड़ता है। फ़िल्मी दुनिया और कहानियों को सच मान लेने की आम मानसिकता के कारण ही कोई हादसे की शिकार लड़की की मदद के लिए भी सामने नहीं आता। सबसे पहले हमें ऐसे तमाम फ़िल्मों, विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती हैं।

लड़कियां किन्हीं सामाजिक, पारिवारिक कारणों से ऐसी हरकतों का विरोध नहीं करतीं। किसी को उसके बारे में नहीं बतातीं। चुपचाप सहन कर लेती हैं। उनकी इस सहनशीलता के कारण ही इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।

एक और मुख्य कारण है हमारा कानून। 'ईव-टीज़िंग' शब्द वास्तव में इस अपराध को बहुत हल्का कर देता है। अपर्याप्त कानून और इसे लागू करने के अपर्याप्त साधनों या व्यवस्थाओं के कारण उनका फायदा लड़कियां या औरतें नहीं उठा पा रही हैं। हमारा पुलिस तंत्र इतना जागरुक और संवेदनशील नहीं है कि वे ऐसे मामलों को गम्भीरता से ले और उस पर सख्ती से कार्यवाही करे।

हमें यह बात समझ लेनी होगी कि अन्याय और अत्याचार सहन करने से बढ़ते हैं कम नहीं होते। अगर हम सचमुच ऐसे अपराधों को कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे अपराधों पर चुप्पी को तोड़ना होगा।

किसी भी रिश्ते की सीमा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह किसी औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। अगर हमारी बेटी हमसे कहती है कि मेरा साथ फलां व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम मानें कि यह उसकी गलती नहीं बल्कि उस आदमी की बदमाशी है। हम अपनी बेटियों पर बंदिश लगाने की बजाय ऐसे रिश्तों और पुरुषों को रोकना सीखें।

हमें अपने भीतर से सामाजिक डर को भी निकालना होगा। अपनी बेटियों को आज़ादी देनी होगी। उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि अगर उनके साथ ऐसी कोई हरक़त हो तो वे खुद ही उसे निपटा सकें। लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ को हम अपनी इज़्ज़त का मसला न बनायें वरन् उसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखें और दूर करने की कोशिश करें।

लड़कियों का सज-धज कर निकलना, उनका ऐसे चलना, वैसे चलना, इतने समय घर से निकलना, इतने समय नहीं ऐसी तमाम बंदिशों को तोड़ना होगा। हमें यह समझ लेना होगा आज का समय अपनी बेटियों को घर की चारदीवारी में बंद करने का नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ें तो हमें उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना होगा।

ऐसा नहीं कि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। घर और रिश्तों के दायरों से बाहर आने के साथ ही इन घटनाओं पर चुप्पी टूटी है। तमाम खतरों और अपमान के बावजूद लड़कियों ने इस तरह की घटनाओं को समाज के सामने रखा है। *'ईव-टीज़िंग प्रिवेंशन एक्ट'* धारा 394 और धारा 509 जैसे कानून भी शामिल हुए हैं। लेकिन यही काफी नहीं है। जब तक हम सामाजिक तौर पर ऐसी हरकतों को नहीं नकारते तक तक हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं रह सकतीं। हमें अपने पुलिस तंत्र को भी संवेदनशील बनाना होगा जिससे वो भी यह समझें कि लड़कियां किसी मज़ाक या छेड़छाड़ का साधन नहीं है और पुलिस थाने में आने वाले हर ऐसे केस को संगीन अपराध का दर्जा दें। जब तक हम इस तरह की हिंसा को छोटी-मोटी बात कहकर टालते रहेंगे तब तक हमारी बेटियां इसी तरह सरेआम सड़कों पर छेड़छाड़ का शिकार होती रहेंगी।